

# कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक वी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/वि.मु.प्राप्त्र./ ६६५  
प्रति,

मुदिनांक २१/१२/२०२२

1.	वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र-5, कोषालय भवन, तीज हजारी कोर्ट काम्लेक्स, नई दिल्ली	110124
2.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आंध्र प्रदेश, सैफाबाद, हैदराबाद	500463
3.	o/o the Director of Audit & Pension, Government of Arunachal Pradesh, Naharlagun, Arunachal Pradesh	791110
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी	781029
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रान्च, आडिट भवन नवरंगपुरा अहमदाबाद	380009
6.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार, पटना, बीर चंद पटेल पथ, पटना	800001
7.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट न.-४ एवं ५, सेक्टर ३३-बी, चंडीगढ़	160047
8.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला	171003
9.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू कश्मीर, एग्जीबीशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर	190009
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरंडा, राँची	834002
11.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पार्क हाउस रोड, पो.बॉ.-५३२९ / ५३६९ बैंगलोर	560001
12.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-५६००७, एम.जी. रोड, तिरुवनंथपुरम	695039
13.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.)- ॥ मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर	474002
14.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, १०१ महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन. मैरीन लाईन्स, मुंबई	400020
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.)- ॥ महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर	440001
16.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मनिपुर, इम्फाल	795001
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलांग	793001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, ऐजवल	796001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा	797001
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उडीसा, भुवनेश्वर	751001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर १७-ई, चंडीगढ़	160017
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर	302005
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिविकम, लेखा परीक्षा भवन देवराली पी.ओ.-टाडोंग, गंगटॉक	737102
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तामिलनाडु, ३६१ अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई	600018
25.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पी.आ.-कुंजाभवन, अगरतला	799006
26.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तराखण्ड, देहरादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून	248171
27.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ॥, उत्तर प्रदेश, चतुर्थ तल आडिट भवन विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ	226010



DR-100  
21/12/22

पृष्ठा १  
28/12/22  
मोटर  
२१/०१/२३

28.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बैंगॉल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नर्मेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकता	700001
29.	कन्ड्रोलर ऑफ अकाउन्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफैर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन नई दिल्ली	110021
30.	डाइरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स, पेंशन अनुभाग, पनजी, गोवा	403101
31.	डाइरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स एवं ट्रेजरी, पांडीचेरी सरकार, पांडीचेरी	605001
32.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) तेलगांना, हैदराबाद	500004
33.	वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, त्रिकूट-11 भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	110066
34.	महालेखाकार (लेखा एवं हक)–द्वितीय, उत्तर प्रदेश, 20, सरोजिनी नाईडु मार्ग, प्रयागराज	211001

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंधी आदेश।

संदर्भ: छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 771/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 15.11.2022

महोदय,

संदर्भित निर्देशों का पालन करने एवं संबंधित सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें। संबंधित आदेश छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग की वेबसाइट [WWW.cgfinance.nic.in](http://WWW.cgfinance.nic.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

संलग्न: संदर्भित आदेश की प्रति।

भवदीय

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

पृ.क्र. पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/  
प्रतिलिपि:

दिनांक:

अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक: 805/एफ 2013-04-00416/वि/नि/ चार, दिनांक 30.11.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 771 /एफ 2013-04-00416 /वित्त/नियम/चार, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 15.11.2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागायुक्त  
समस्त कलेक्टर  
छत्तीसगढ़

**विषय:-छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें**

—0—

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 607 /एफ 2013-04-00416 /वित्त/नियम/चार, दिनांक 14.09.2022 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.08.2022 से 28% (सातवें वेतनमान में) एवं 189% (छठवें वेतनमान में) की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है।

2/ राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से महंगाई राहत स्वीकृत की जाये। वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी:-

वेतनमान	अवधि जब से देय है	महंगाई राहत में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई राहत का प्रतिशत
सातवां वेतनमान	01.10.2022	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 5%	33%
छठवां वेतनमान	01.10.2022	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 12%	201%

3/ उपरोक्त महंगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्यूत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस महंगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महंगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.वी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर महंगाई राहत की

पात्रता नहीं होगी। कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी.6/10/77/नि-2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 24-7-2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5/ महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पु.क्र.ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर महंगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये। यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(इन्द्रप्रकाश तात्रे)

अवर सचिव

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH**  
**FINANACE DEPARTMENT**  
**MANTRALAYA**  
**MAHANADI BHAVAN, NAVA RAIPUR ATAL NAGAR**

No. 771 /F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV, Nava Raipur Atal Nagar, Dated 15.11.2022

To,

All Department of Government  
The President of Board of Revenue, Bilaspur  
All Heads of Department  
All Commissioners of Divisions  
All Collectors  
Chhattisgarh.

Sub - Revised rate of dearness relief to Chhattisgarh Government pensioners

The State Government had sanctioned 28% (in Seventh Pay Scale) and 189%(in Sixth Pay Scale) dearness relief w.e.f. 01.08.2022 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. 607/F 2013-04-00416/Fin./Rule/IV, dated 14.09.2022.

2. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to old pensioners shall also qualify for dearness relief.

Pay Scale	Date from which payable	Rate of increase in Dearness Relief	Increased Dearness Relief
Seventh Pay Scale	01-10-2022	5% of Basic Pension/ Family Pension	33%
Sixth Pay Scale	01-10-2022	12% of Basic Pension/ Family Pension	201%

3. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No.




F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76. The dearness relief on the pension/family pension shall not be payable in the cases where the pensioner/family pensioners are appointed/re-appointed under the State Government or autonomous institutions. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No. F.B.6/10/76/R-II/IV, dated 27-7-76 read with Memo No. F.B.6/10/77/R-II/IV, dated 2-5-77 and Memo No. 211/379/F/R/IV /2007, dated 24-7-2007.

4. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

5. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No.E-4/1/83/R-V/IV, dated 29<sup>th</sup> January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.


By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh

  
(Indraprakash Ratre)  
Under Secretary

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता /उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर/नवा रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
9. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग कि निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
23. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नर्मेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपाटमेंट, सी-7 बान्द्रा, कुर्ला काम्लेक्स, पोस्ट बाक्स न. (पूर्व) मुंबई
24. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
25. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर 382010
26. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
27. वित्त सचिव, आसाम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001
28. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001
29. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002
30. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम 695039
31. वित्त सचिव, तमिलनाडू शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018
32. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020
33. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001
34. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भूवनेश्वर 751001
35. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
36. वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
37. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003
38. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001
39. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001
40. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001
41. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001.
42. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001
43. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001
44. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा 797001

45. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001  
 46. वित्त सचिव, गोवा दीव एवं दमन शासन, मंत्रालय, पणजी गोवा 403101  
 47. वित्त सचिव, सिविकम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 717101  
 48. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून 248001  
 49. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004  
 50. महालेखाकार (लेखा / हक.) गुजरात, 5वीं मंजिल सी-ब्लाक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001  
 51. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, राजकोट 360001  
 52. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463  
 53. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463  
 54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मैंघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग 793001  
 55. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001  
 56. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद्र पटेल मार्ग पटना 800001  
 57. प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834002  
 58. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल पो. बाक्स न. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695039  
 59. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018  
 60. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018  
 61. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400020  
 62. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001  
 63. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बैंगलोर 560002  
 64. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001  
 65. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंडीगढ़ 160017  
 66. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, चंडीगढ़ 160047  
 67. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोर्टन कंसल भवन शिमला 171003  
 68. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग, जयपुर 302001  
 69. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, लखनऊ 226001  
 70. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद 211001  
 71. प्रमुख महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल, ड्रेजरी विल्डिंग कोलकाता 700001  
 72. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001  
 73. वरिष्ठ महालेखाकार (लेखा एवं हक) त्रिपुरा, अगरतला 799001  
 74. वरिष्ठ उप महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) नागालैण्ड, कोहिमा 797001  
 75. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिविकम लाकार भवन गंगटोक 717101  
 76. संचालक, लेखा (पेशन शाखा) गोवा दमन दीव पोस्ट पणजी गोवा 403101  
 77. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड, देहरादूर 248001  
 78. संचालक, लेखा (पेशन शाखा) गोवा दमन दीव, पो. पणजी 403101  
 79. वेतन एवं लेखा अधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, पोर्टब्लेयर 744011  
 80. वेतन एवं लेखा अधिकारी क्रमांक 5 (पेशन) तीस हजारी, दिल्ली 110006  
 81. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली 110001  
 82. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली 110001  
 83. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ग्वालियर, मध्यप्रदेश  
 84. संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल  
 85. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट [WWW.cgfinance.nic.in](http://WWW.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु  
 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(इन्द्रप्रकाश सचेव)  
अवर सचिव